न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 01/2021
दायर दिनांकः 13.01.2021
निर्णय दिनांक 01.04.2021

—:अनवानः—

श्री विरेन्द्र कुमार पिता गेहरीलाल जाति महात्मा उम्र वयस्क निवासी बी 101 अरिहंत अपार्टमेंट बेदला बडगॉव लिंक रोड, उदयपुर जिला उदयपुर

———अपीलांट

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील खमनोर जिला राजसमंद
2. श्री सत्यनारायण पिता प्रभुलाल सोनी, निवासी खमनोर, तहसील खमनोर जिला राजसमंद

———रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, खमनोर, प्रकरण संख्या 01/2020 सरकार बनाम सत्यनारायण में पारित आदेश दिनांक 23.12.2020 से व्यथित होकर

अधिवक्तागण :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट, उपस्थित
2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01, उपस्थित
3— श्री गजेन्द्र टॉक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02, अनुपस्थित

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का खमनोर ने राजस्व ग्राम गुर्जरगढ, के खसरा संख्या 3016 रकबा 16 बिश्वा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खमनोर के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार खमनोर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसे दिनांक 23.12.2020 को पुनः स्थगित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील पेश की गई हैं। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 3014 राजस्व ग्राम गुर्जरगढ, पटवारी हल्का खमनोर में स्थित हैं। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में यह भूमि स्थित हैं तथा उससे आगे नाथद्वारा – उनवास मुख्य सडक बनी हुई हैं। इसलिए उक्त भूमि पर तथा अपीलार्थी की भूमि पर विपक्षी संख्या 02 द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण किया था इस बाबत दिनांक 22.06.2020 को श्रीमान जिला कलक्टर, राजसमन्द के यहा पर प्रार्थी द्वारा परिवाद पेश किया गया था जो शिकायत संख्या 06203638067631 दिनांक 22.06.2020 के रूप में दर्ज किया गया हैं तथा इसके उपरान्त दिनांक 02.08.2020 को तहसीलदार खमनोर के यहॉ परिवाद प्रस्तुत किया गया था जो शिकायत संख्या 08203638333899 दिनांक 04.08.2020 के रूप में दर्ज किया गया। इसी प्रकार दिनांक 22.08.2020 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा के यहॉ पर परिवाद पेश किया गया था जो शिकायत संख्या

080078490883 दिनांक 27.08.2020 को दर्ज की गई हैं। उक्त परिवाद के बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को उक्त प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध दर्ज किया गया। दर्ज करने के उपरान्त उक्त प्रकरण में तहसीलदार खमनोर द्वारा बेदखल न कर उक्त प्रकरण में तहसीलदार खमनोर द्वारा बेदखल न कर उक्त कार्यवाही को किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही होते हुए भी अपने मनमकसूद तरीके से विपक्षी संख्या 02 के प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित कर दी जो विधि विपरीत हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। अपीलार्थी की भूमि में आने जाने के लिये इसी भूमि का वर्षो से उपयोग किया जा रहा हैं यह भूमि अपीलार्थी की भूमि एवं नाथूवास – उनवास मुख्य सडक के मध्य स्थित है जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है वह अतिक्रमण भी उक्त कार्यवाही से जानबूझकर संरक्षित करवाया जा रहा हैं। सारा अतिक्रमण निर्माण अवैध किया हुआ हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.2020 को अपास्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त भूमि से बेदखल करने के लिए आदेश पारित करते हुए तहसीलदार खमनोर को निर्देशित किया जावे कि उक्त अतिक्रमी को बेदखल कर अवैध निर्माण को गिराया जावें तथा उक्त भूमि अपीलार्थी को नियमानुसार नियम 19 के प्रावधानो के तहत छोटी पट्टी के रूप में आवंटन /नियमन किये जाने के निर्देश भी फरमाये जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का खमनोर ने राजस्व ग्राम गुर्जरगढ, के खसरा संख्या 3016 रकबा 16 बिश्वा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खमनोर के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार खमनोर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसे दिनांक 23.12.2020 को पुनः स्थगित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील पेश की गई हैं। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 3014 राजस्व ग्राम गुर्जरगढ, पटवारी हल्का खमनोर में स्थित हैं। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में यह भूमि स्थित हैं तथा उससे आगे नाथद्वारा – उनवास मुख्य सडक बनी हुई हैं। इसलिए उक्त भूमि पर तथा अपीलार्थी की भूमि पर विपक्षी संख्या 02 द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण किया था इस बाबत दिनांक 22.06.2020 को श्रीमान जिला कलक्टर, राजसमन्द के यहा पर प्रार्थी द्वारा परिवाद पेश किया गया था जो शिकायत संख्या 06203638067631 दिनांक 22.06.2020 के रूप में दर्ज किया गया हैं तथा इसके उपरान्त दिनांक 02.08.2020 को तहसीलदार खमनोर के यहॉ परिवाद प्रस्तुत किया गया था जो शिकायत संख्या 08203638333899 दिनांक 04.08.2020 के रूप में दर्ज किया गया। इसी प्रकार दिनांक 22.08.2020 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा के यहॉ पर परिवाद पेश किया गया था जो शिकायत संख्या 080078490883 दिनांक 27.08.2020 को दर्ज की गई हैं। उक्त परिवाद के बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को उक्त प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध दर्ज किया गया। दर्ज करने के उपरान्त उक्त प्रकरण में तहसीलदार खमनोर द्वारा बेदखल न कर उक्त कार्यवाही को किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही होते हुए भी अपने मनमकसूद तरीके से विपक्षी संख्या 02 के प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित कर दी, जो विधि विपरीत हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। अपीलार्थी की भूमि में आने जाने के लिये इसी भूमि का वर्षो से उपयोग किया जा रहा हैं यह भूमि अपीलार्थी की भूमि एवं नाथूवास

– उनवास मुख्य सडक के मध्य स्थित है जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है वह अतिक्रमण भी उक्त कार्यवाही से जानबूझकर संरक्षित करवाया जा रहा हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि विपक्षी द्वारा माननीय सहायक कलक्टर महोदय, नाथद्वारा के न्यायालय में दायर प्रकरण संख्या 156/2020 विचाराधीन होने से न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित किये जाने निवेदन किया गया । चुकि उक्त प्रकरण से संबंधित वाद इस न्यायालय से उच्चतर न्यायालय मे विचाराधीन होने से उक्त पत्रावली को निर्णित न कर, उक्त 91 का प्रकरण माननीय सहायक कलक्टर महोदय, नाथद्वारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णयाधीन रखा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध मे यदि सहायक कलक्टर, नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 156/2020 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही है तो उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार, खमनोर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रति पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए 01 माह में आदेश पारित करें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, खमनोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2020 को खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार खमनोर को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध मे यदि सहायक कलक्टर, नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 156/2020 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही है तो उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रति पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए 01 माह में आदेश पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, खमनोर को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)